

परिशिष्ट - IV-A नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, का रचनात्मक/भौतिक कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **09-09-2026** को (पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे) को बेचा जाएगा। ईएमडी/दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि **09-09-2026** (अर्पा. 04.00 बजे तक) है। इच्छुक खरीदार अपने नाम पोर्टल <https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration> पर पंजीकृत करवाएंगे। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम और खाता / कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण और मालिक	बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मो. नं./जिससे बोलीदाता शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकता है
1	बैंक ऑफ इंडिया – सिकंदराबाद शाखा खाता – i) श्री मनीष पुत्र हरिचंद ii) श्रीमती सोनिया पुत्र मनीष	संपत्ति – फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट का समस्त हिस्सा जोकि प्लॉट नं. जे-6, खसरा नं. 1455 और 1462, पहली मंजिल, बालाजी एन्क्लेव, विल- रहीशपुर, परगना-डासना, तहसील और जिला-गाजियाबाद यूपी-201002 जोकि संयुक्त रूप से श्री मनीष पुत्र हरि चंद और श्रीमती सोनिया पत्नी मनीष के नाम पर है। क्षेत्रफल 73.00 वर्गमी. सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नंबर जे-5, दक्षिण: प्लॉट नंबर जे-7, पूर्व: अन्य मालिक का प्लॉट, पश्चिम: रास्ता 25 फीट चौड़ा	रु. 15,80,842.00 + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. 23.19 लाख रु. 2.32 लाख रु. 0.24 लाख	09.09.2026 को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	राजेश कुमार सिंह
2	बैंक ऑफ इंडिया – वजीराबाद रोड शाखा खाता – i) श्री शिव कुमार पुत्र जमुना प्रसाद ii) श्रीमती मधु बाला पुत्र शिव कुमार	संपत्ति – आवासीय सम्पत्ति का समस्त हिस्सा जोकि तीसरी मंजिल प्लॉट नं. 5, लाइन 4, खसरा नं. 27/2 में से गांव-धिकम्बरपुर, परगना-लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद (यूपी) क्षेत्रफल 33.5 वर्ग गज यह सम्पत्ति श्री शिव कुमार पुत्र जमुना प्रसाद और श्रीमती मधु बाला पुत्र शिव कुमार के नाम पर है सीमाएं: उत्तर: प्लॉट नं. 4, दक्षिण: प्लॉट नं. 6, पूर्व: अन्य प्लॉट, पश्चिम: 14 फीट चौड़ी सड़क	रु. 8,32,460.16 + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. 12.76 लाख रु. 1.28 लाख रु. 0.13 लाख	09.09.2026 को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	कहकशां अंसारी
3	बैंक ऑफ इंडिया – डिबाई शाखा खाता – i) श्री इब्राहिम खान पुत्र सखावत खान ii) श्री मसरूर अली खान एसड्यो मौसम अली	फ्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अंशिका विहार डिबाई, गलीबपुर रोड, तहसील- डिबाई, जिला- बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्री इब्राहिम खान के नाम पर है। सीमाएं: विलेख के अनुसार – उत्तर: रास्ता 14 चौड़ा, दक्षिण: खेत लखी सिंह, पूर्व: जावेद का प्लॉट, पश्चिम: अराजी विक्रेता का प्लॉट	रु. 7,49,871.00 + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. 9.88 लाख रु. 0.99 लाख रु. 0.10 लाख	09.09.2026 को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	राजेश कुमार सिंह

नियम और शर्तें

- नीलामी बिक्री / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया <https://www.baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration> वेबसाइट के माध्यम से होगी।
- नीलामी की तिथि और समय : **09-09-2026 (सुबह 10:00 बजे से अर्पा 05:00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)** धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि **09-09-2026 (अर्पा. 04.00 बजे तक)**
- नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले बोलीवृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वेबसाइट पर उल्लिखित हैं, पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वेबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएंगे। संपत्तियों को आरक्षित मूल्य और प्रथम बोलीवृद्धि मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।
- इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल <https://www.baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration> पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर जमा करें।
- संपत्ति को सभी मौजूदा या भविष्य के भारों के साथ बेचा जाएगा (यदि कोई)। प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों / दावों या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार/संपत्तियों के शीर्षक, सांविधिक दायित्व/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। वेबसाइट www.baanknet.com पर लॉग इन करके संपत्तियों को देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से कार्य समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
- सफल बोलीदाता/क्रेता संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस सहित सभी करों को वहन करेगा (यदि बिक्री मूल्य रु. 50 लाख/- और अधिक है) और ऑनलाइन बिक्री करने के लिए सेवा प्रदाता को देय कर। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए स्वयं **BANKNET** से संपर्क करेगा। ईएमडी की वापसी के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/रद्द करने या किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
- बिक्री प्रमाण पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
- सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाताओं को पहले से भुगतान की गई EMD सहित बिक्री मूल्य का 25%, अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों की समाप्ति से पहले और बिक्री मूल्य का शेष बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता हेतु ग्राहक सेवा से 8291220220 या support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबरों पर या गाजियाबाद अंचल कार्यालय में 0120-2404135 पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत अधिकारियों द्वारा वेबसाइट www.baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

नोट: सभी इच्छुक बोलीदाता **05.09.2026 to 08.09.2026** तक केवल कार्य घंटों के दौरान एओ / शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं / साइट पर जा सकते हैं और इसके बाद या उल्लिखित किसी भी पूर्व तिथि पर साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक <https://www.bankofindia.co.in> देखें।